उत्तराखण्ड शासन

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2

संख्याः 148 /XXX–2/19/30(05)/14

देहरादूनःदिनांक 29 मई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

The rights of Persons with disabilities Act, 2016 की धारा 34(1) में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार दिव्यांगों को राज्याधीन सेवाओं में समूह "क" "ख" "ग" एवं "घ" के पदों के संबंध में पदोन्नति के पदों के चिन्हांकन हेतु कार्मिक विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–01/XXX–2/18/30(05)/14 दिनांक 03.04.2018 के द्वारा गठित समिति का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता हैः–

1.	सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
3.	अपर सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
4.	अपर सचिव,न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
5.	अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।	सदस्य
6.	आयुक्त/निदेशक, दिव्यांगजन, उत्तराखण्ड।	सदस्य
7.	निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड।	सदस्य

समिति उक्त अधिनियम में उल्लिखित सुसंगत धाराओं के आलोक में निम्नलिखित दिव्यांगताओं के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के समूह "क" "ख" "ग" एवं "घ" के पदोन्नति/सीधी भर्ती के पदों का चिन्हांकन करेगीः–

(a) blindness and low vision,
(b) deaf and hard of hearing;
(c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy,
(d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness;
(e) multiple disabiltites from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness in the posts identified for each disabilities:

2. समिति 03 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को उपलब्ध करायेगी। उक्त के साथ–साथ समिति शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु दिव्यांगों को 05 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य कराये जाने के संबंध में भी अपनी रिपोर्ट कार्मिक विभाग को उपलब्ध करायेगी।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या– /XXX-2/19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–1. निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, समाज कल्याण विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।

4. अपर सचिव, न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त/निदेशक, दिव्यांगजन,उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह)
उप सचिव